भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5484

दिनांक 05 अप्रैल, 2022 / 15 चैत्र, 1944 (शक) को उत्तर के लिए

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों का विकास

5484. श्री गोपाल जी ठाकुरः
श्री अशोक कुमार यादवः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन सहित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उनके क्या परिणाम हुए हैं

(ख) क्या सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशिष्ट सुरक्षागत और विकासगत हस्तक्षेप कर रही है; और

(ग) राज्यों के विशेष बलों और आसूचना विभाग की विशेष शाखाओं को सुदृढ़ करने पर खर्च की गई राशि कितनी है और कितने पुलिस थानों को मंजूरी दी गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' के विषय राज्य सरकारों के पास हैं। तथापि, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या से समग्र रूप से निपटने के लिए, वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना शुरू की गई थी। इसमें एक बहु-आयामी रणनीति की परिकल्पना की गई है, जिसमें सुरक्षा संबंधी उपाय, विकासपरक हस्तक्षेप (इंटरवेंशन), स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियां सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं।

विकास की दृष्टि से, केंद्र सरकार ने वामपंथी उग्रवाद वाले क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विस्तार; दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार; स्थानीय आबादी के वित्तीय समावेशन; कौशल विकास और शिक्षा सुविधाओं पर विशेष बल देते हुए विभिन्न पहल की हैं।

सड़क आवश्यकता योजना-I (आरआरपी-I) और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क सम्पर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) जैसी विशेष योजनाओं के अन्तर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में 16200 किमी. से अधिक सड़कों का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इनमें से, लगभग 13000 करोड़ रुपये के व्यय सें 10600 किमी. से अधिक सड़कों का निर्माण किया जा चुका है।

लोक सभा अता. प्र.सं.5484, दिनांक 05.04.2022

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए मोबाइल कनेक्टिविटी परियोजना के चरण-। के अंतर्गत 2343 मोबाइल टावर स्थापित किए गए थे और चरण-।। के अंतर्गत 2542 टावरों के लिए कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, मोबाइल कवरेज से वंचित आकांक्षी जिलों के लिए एक योजना में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 4312 मोबाइल टावर अनुमोदित किए गए हैं।

इन क्षेत्रों में युवाओं के कौशल विकास के लिए, "वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास योजना" के अन्तर्गत 407 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 47 जिलों में औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आईटीआई) और 34 जिलों में कौशल विकास केंद्र (एसडीसी) स्वीकृत किए गए हैं।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए अब तक अनुमोदित 234 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों (ईएमआरएस) में से, 99 ईएमआरएस पिछले 02 वर्षों में अनुमोदित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित सभी जिलों में केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को मंजूरी प्रदान की गई है और उन्हें कार्यशील बना दिया गया है।

वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जनता के वित्तीय समावेशन के लिए, पिछले 07 वर्षों में 4442 नए डाकघर खोले गए हैं। वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 30 जिलों में पिछले 07 वर्षों में 1253 बैंक शाखाएं खोली गईं, 1264 एटीएम लगाए गए और 16808 बैंकिंग करेसपांडेंट भी नियुक्त किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाओं में विशेष कमियों (क्रिटिकल गैप्स) को दूर करने के लिए, वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों को “विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए)” नामक योजना के अन्तर्गत निधियां प्रदान की जाती हैं। पिछले 05 वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यों को 3085 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सुरक्षा की दृष्टि से, केंद्र सरकार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल बटालियन, प्रशिक्षण, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु निधि, उपकरण एवं हथियार, आसूचना के आदान-प्रदान, दुर्गीकृत पुलिस स्टेशनों (एफपीएस) के निर्माण आदि का प्रावधान करके वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों की सहायता करती है। केंद्र सरकार “सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)” और “विशेष अवसंरचना योजना (एसआईएस)” जैसी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के क्षमता निर्माण के लिए निधियां भी प्रदान करती है। पिछले 05 वर्षों के दौरान एसआरई योजना के अंतर्गत वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को 1623 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एसआईएस योजना के अन्तर्गत, वर्ष 2017 से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में विशेष बलों

(एसएफ) और विशेष आसूचना शाखाओं (एसआईबी) के सुदृढ़ीकरण के लिए 371 करोड़ रुपये और संवेदनशील स्थानों पर 250 दुर्गीकृत पुलिस स्टेशनों के लिए 620 करोड़ रुपये की परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके अतिरिक्त, पिछली एसआईएस/एफपीएस योजना में, केंद्र सरकार ने राज्यों में 400 दुर्गीकृत पुलिस स्टेशनों के निर्माण और पुलिस अवसंरचना के उन्नयन के लिए 1180 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की थी।

"वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना" के दृढ़ कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा और इसके भौगोलिक प्रसार में निरंतर कमी आई है। वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है, जो वर्ष 2009 में अब तक की सर्वाधिक 2258 घटनाओं से घटकर वर्ष 2021 में 509 हो गई है। इसी प्रकार, परिणामी मौतों (आम नागरिकों+सुरक्षा बलों) में भी 85% की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में अब तक के सर्वाधिक 1005 से घटकर वर्ष 2021 में 147 हो गई है। वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की रिपोर्ट करने वाले जिलों की संख्या में भी 48% की कमी आई है, जो वर्ष 2010 में 96 से घटकर वर्ष 2021 में 46 हो गई है।

******